UPMA010030782026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)
ID No.–UP 2023
जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1010/2026

आनन्द साहनी उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र राधेश्याम साहनी, निवासी अजोरपुर, थाना रामपुर, जनपद मऊ।

––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

–––विपक्षी।

दिनांक–10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त आनन्द साहनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अपराध सं० 161/2026 अन्तर्गत धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340, 352, 351(2) बी.एन.एस. व धारा 9/11 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के मामले में जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वापस लिये जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.11 07:45:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court